राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक पं0 4(1)चिस्वा/2/2015–I जयपुर, दिनांक 13.06.2018

–:आदेश:–

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत् उप निदेशक एवं समकक्ष पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 29.06.2018 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई जिसमें **डॉ. अशोक कुमार रावत, जन्म तिथि 27.06.1971, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी** के विरूद्व विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण इनका पदोन्नति परिणाम बन्द लिफाफे में रखे जाने की अभिशंषा की गई।

उक्त विचाराधीन विभागीय जांच में अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 25.8.2015 के द्वारा प्रकरण को समाप्त किया गया है जिसके फलस्वरूप **डॉ0 अशोक कुमार रावत** जन्म तिथि 27.06.1971 **वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को** दिनांक 1.4.2018 से **उप निदेशक एवं समकक्ष** के पद पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप डॉ. रावत यथास्थान पदस्थापित रहेगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री, राज, सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करावें।

(ओ. पी. वर्मा)
सहायक शासन सचिव